"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 नवम्बर 2011—कार्तिक 12, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2011/1-3.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रावधानों के तहत, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु गैर राज्य सिविल सेवा के पदों को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रयोजन हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विभागों के कॉलम (3) में दर्शित पदों को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करता है :—

क्र.	विभाग का नाम	उप जिलाध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर) के समकक्ष घोषित पद
(1)	(2)	(3)
1.	वित्त एवं योजना	1. राज्य लेखा सेवा वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी 2. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा 3. उप महानिरीक्षक/उपायुक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक (पंजीयन विभाग)
2.	वाणिज्यिक कर	उपायुक्त वाणिज्यिक कर
3.	आबकारी	उपायुक्त आबकारी

(1)	(2)	(3)
4.	सहकारिता	उप पंजीयक
5.	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास	उपायुक्त
6.	श्रम	उपायुक्त
7.	जनशक्ति नियोजन	रोजगार अधिकारी (उप संचालक स्तर के)
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	उप संचालक
9.	जनसम्पर्क	उप संचालक
10.	महिला एवं बाल विकास	उप संचालक
11.	ग्रामीण विकास	उपायुक्त (विकास)
12.	समाज कल्याण	डिप्टी डायरेक्टर
13.	वाणिज्य एवं उद्योग	उप संचालक
14.	खनिज संसाधन	उप संचालक
15.	कृषि	उप संचालक
16.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	उप संचालक
17.	आवास एवं पर्यावरण	उप संचालक
18.	मत्स्य पालन	उप संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.